कारियों के पदों के लिये आवेदन पत्र भेज सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस आधार पर 1964–65 में कितने हिन्दी सहायकों की हिन्दी अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दी सहायकों की वरिष्ठता

2091. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त किये गये हिन्दी सहायकों को संबन्धित मंत्रालयों में अलग-अलग स्थायी किया जा रहा ह ; और

(ख) इसका उनकी मिली-जुली वरिष्ठता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) हिन्दी सहायकों का कोई केन्द्रीकृत संवर्ग नहीं हैं । अतः है उनकी सम्मिलित वरिष्ठता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दी सहायक

2092. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी सहायकों के अतिरिक्त और भी पदालियां हैं जिनमें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं, परन्तु उनको पदोन्नति के अवसर नहीं दिए गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) सूचना एकदम उपलब्ध नहीं है ।

(ख) स्थायी हिन्दी सहायकों की भावी पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था के प्रश्न पर सरकार द्वारा सावधानी से विचार किया गया है । यह सुझाव दिया गया था कि स्थायी हिन्दी सहायकों को, जिनके लिये फिल हाल पदोन्नति के और कोई अवसर नहीं हैं, हिन्दी अधिकारियों, गवषेणा सहायकों (हिन्दी) आदि जैसे उच्चतर पदों में नियुक्ति के लिये अभ्यंश दिया जाय '। एसे उच्चतर पदों की संख्या बहुत कम है और वे अधिकतर अस्थायी आधार पर बनाये गए हैं । इन पदों के लिये विहित अर्हता का स्तर भी आमतौर पर हिन्दी सहायकों के लिये निर्धारित स्तर से ऊंचा है । अत: एसे पदों का कोई भाग हिन्दी सहायकों की पदोन्नति के लिये सुरक्षित रखना सम्भव नहीं हो सका । किन्तु यह निर्णय किया गया है कि अर्हता प्राप्त हिन्दी सहायकों को सिवाये ऐसे मामले में जिनमें जनहित के आधार पर ऐसा न करने के जबर्दस्त कारण मौजूद हों, आम तौर पर केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी 11 और श्रेणी I (कनिष्ठ) के ऐसे पदों के लिये आवेदन पत्र देने की अनुमति दे दी जाय जिनके लिये हिन्दी की उच्चतर योग्यताओं अथवा उच्चस्तरीय दक्षता तथा हिन्दी के काम का अनुभव अपेक्षित हों ।

हिन्दी सहायक

2093. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों में तदर्थ आधार पर हिन्दी सहायकों के कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ; और

(ख) क्या उनको नियमित करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई परीक्षा आयोजित करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

Fertilizer Plant in Goa

2094. Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Yashpal Singh:
Shri Kindar Lal:
Shri P. C. Borooah:
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Sidheshwar Prasad:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an agreement has been signed with a private firm for the setting up of a fertilizer plant in Goa; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) A letter of intent has been issued by Government to M/s. Birla Gwalior Private Ltd. for the setting up of a fertilizer plant in Goa with a capacity of 160,000 tonnes of nitrogen per annum.

(b) An agreement has been signed on 21-10-1965 between M/s. Birla Gwalior Private Ltd. and M/s. Armour and Company, USA for financial and technical collaboration in the establishment of the fertilizer factory. M/s. Armour and Company will subscribe equity capital to the extent of 3·88 million. They will make available to the Indian Company (1) the Engineering, manufacturing and marketing data; (2) skills needed to design, construct and operate the plant as well as to market products; (3) their secret formula, when necessary, to produce compound fertilizers; and (4) the secret process and technology which they now use in the United States.

हिन्दी सहायकों के लिये पृथक संघ

2095. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने जून, 1959 में हिन्दी सहायकों की भर्ती के लिये जो परीक्षा की थी उस समय अधिसूचना में यह उल्लेख था कि इन पदों को अभी निःसवर्ग पद बनाया जा रहा है ;

(ख) क्या हिन्दी सहायकों के लिये अब को अलग सवर्ग बनाया जा रहा है या इन पदों को किसी दूसरे संवर्ग में मिलाया जायेगा ; और

(ग) उनकी पदोन्नति की क्या संभावनाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां । अधिसूचना में यह उल्लेख था कि हिन्दी सहायकों के पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना से पृथक माने जायेंगे । ऐसा इस लिये किया गया था कि उम्मीदवारों के सामने, जो सब पहले ही केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्य थे, यह बात साफ कर दी जाय कि बाद में केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ग्रेड IV (सहायक) में पदोन्नति होने पर उन्हें हिन्दी सहायकों के रुप में निर्वाचन/पदोन्नति के आधार पर कोई विशेष लाभ पाने का अधिकार नहीं होगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अर्हता प्राप्त हिन्दी सहायकों को, सिवाय ऐसे मामलों के जहां जनहित के